कम्प्यूटर परिपत्र सं० - 1516007 दिनांक - 12-5-2015

पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-स0प0/ संवेदनशील फर्मो / शाखायें जॉच / 379 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 12 : मई,2015

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-4(1)/ 10-11-परिपत्र भाग-3/328/ 1213018/ वाणिज्य कर दिनांक 28-05-2012 से आपको राजस्व की दृष्टि से निम्न वस्तुओं को संवेदनशील की श्रेणी में घोषित करने से अवगत कराया गया है :-

1- कोयला 2- केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 में परिभाषित लोहा एवं इस्पात 3- मेंथा आयल एवं मैन्थाल 4- सुपारी व कत्था 5- पान मसाला/गुटखा 6- पेपर 7- वनस्पति, पाम आयल, रिफाइन्ड आयल 8- पटिया -पत्थर , बदरपुर , रोड़ी गिट्टी, मौरंग, बालू / रेता, खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर)

2- यह निर्णय लिया गया है कि माह मई 2015 एवं जून 2015 में प्रत्येक जोन में निम्नवत दो संवेदनशील वस्तुओं कीजॉच कराई जाय :-

गाजियाबाद प्रथम / द्वितीय / सहारनपुर जोन :- **आयरन स्टील एवं रेडीमेड,** लखनऊ जोन प्रथम/ द्वितीय, कानपुर जोन प्रथम/ द्वितीय, **आयरन स्टील एवं पान मशाला,** नोएडा जोन **आयरन स्टील एवं इलेक्ट्रानिक गुडस,** वाराणसी जोन प्रथम / द्वितीय व गोरखपुर जोन **आयरन स्टील एवं कोयला,** इलाहाबाद /झॉसी जोन **आयरन स्टील एवं सीमेंट,** फ़ैजाबाद एवं इटावा जोन **आयरन स्टील एवं खाद्यान्न,** मुरादाबाद जोन **आयरन स्टील एवं ब्रास वेयर,** अलीगढ जोन **आयरन स्टील एवं ताला व हार्डवेयर,** मेरठ जोन **आयरन स्टील एवं पेपर स्क्रैप,** आगरा जोन **आयरन स्टील एवं पत्थर गिटटी** तथा बरेली जोन **रोड़ी गिटटी एवं खाद्यान्न।**

उपर्युक्त वस्तुओं में से प्रदेश स्तर पर चिन्हित सम्वेदनशील वस्तुओं के साथ-साथ पूर्व में स्थानिक करापवंचन के दृष्टिगत आप द्वारा संसूचित संवेदनशील वस्तुएं सम्मिलित है।

3- उपर्युक्त के अतिरिक्त चेकपोस्टों की समाप्ति के उपरान्त ट्रॉस एरिया सीमावर्ती जोनों में फर्जी रुप से फर्मे / शाखायें खोलकर (संवेदनशील वस्तुओं से सम्बन्धित फर्मे / शाखायें) किये जा रहे करापवंचन को रोकने हेतु मुख्यालय के परिपत्र संख्या- 0910086 दिनांक 08-02-2010 से ऐसी फर्मो / शाखाओं की जॉच कर फर्जी पाये जाने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने तथा सचलदल इकाईयों द्वारा अधिक से अधिक बिलों के संग्रहण किये जाने के निर्देश दिये गये है। समय-समय पर मुख्यालय स्तर पर भी फर्जी फर्मो / शाखाओं की जॉच करने हेतु निर्देशित किया गया है।

4- मुख्यालय स्तर पर संवेदनशील वस्तुओं की जॉच के सम्बन्ध में पूर्व में की गयी समीक्षा में यह पाया गया कि प्रवर्तन इकाईयों द्वारा संवेदनशील वस्तुओं पर हो रहे करापवंचन को रोकने फर्जी फर्मो / शाखाओं के विरुद्ध आवश्यक जॉच कराते हुए उनके विरुद्ध ठोस एवं परिणाम मूलक कार्यवाही नही करायी गयी है।

5- यह भी अपेक्षित है कि प्रवर्तन इकाईयों द्वारा संवेदनशील वस्तुओं से सम्बन्धित फर्मो / वाहनों की जॉच/ बिल संग्रहण की कार्यवाही सम्पादित की जाय तथा सार्थक परिणाम प्राप्त किये जाये।

6- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर अपने जोन में स्थित संवेदनशील वस्तुओं का व्यापार करने वाली पंजीकृत फर्मो द्वारा अपनी शाखायें सीमावर्ती जनपदों में घोषित की गयी है उनकी सूची सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) को प्रेषित करेगें जिससे उनके स्तर से समयान्तर्गत ऐसी फर्मो / शाखाओं की जॉच करायी जा सके।

उपर्युक्तानुसार करापवंचन रोकने की दिशा में प्रभावी एवं ठोस कार्य योजना बनाकर अपने अधीनस्थ प्रवर्तन अधिकारियों से ठोस एवं परिणाम मूलक कार्यवाही कराते हुए इस पत्र के साथ संलग्न प्रारुप में वि0अनु0शा0 एवं सचलदल इकाईयों द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण मुख्यालय के वि0अनु0शा0 एवं सचलदल अनुभाग को पृथक-पृथक रुप में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश।

संवेदनशील वस्तुओं के पंजीकृत व्यापारियों के व्यापार स्थल / शाखाओं की जॉच किये जाने सम्बन्धी विवरण पत्र

जोन का नाम---------   विवरण माह ----------   (वि0अनु0शा0 अनुभाग मुख्यालय को प्रेषित किया जाय 1)

क्र0सं	चिन्हित संवेदनशील वस्तु का नाम	जोन में पंजीकृत व्यापारियों की सं0	व्यापारियों की सं0 जिनके व्यापारस्थल की जांच की गयी (सूची संलग्न की जाय)	जॉच में अस्तित्वहीन पायी गयी फर्मो/ शाखाओं की सं0 (सूची संलग्न की जाय)	ऐसी फर्मो की सं0 जिनकी जॉच में प्रतिकूल तथ्य पाये गये।	प्रथम दृष्टया पाये गये अनुमानित अपवंचित क्रय/विक्रय धन की धनराशि	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
योग-							

हस्ताक्षर

जोनल एडीशनल कमिश्नर---------जोन

संवेदनशील वस्तुओं के परिवहीत किये जा रहे माल के वाहनों की जॉच किये जाने सम्बन्धी विवरण पत्र

जोन का नाम---------   विवरण माह ----------   (सचलदल अनुभाग मुख्यालय को प्रेषित किया जाय 1)

क्र0सं	जोन में कार्यरत सचल दल इकाईयों की सं0	संवेदनशील वस्तुओं का नाम	जॉच किये गये वाहनों की सं0	जॉच में दोषी पाये गये वाहनों की सं0	अभिग्रहीत माल का मूल्य	जमा करायी गयी जमानत /अर्थदण्ड की धनराशि	संग्रहीत बिलों की सं0	संग्रहीत बिलों में निहित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	
योग-								

हस्ताक्षर

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)---------जोन

संवेदनशील वस्तुओं के पंजीकृत व्यापारियों के व्यापार स्थल / शाखाओं की जॉच किये जाने सम्बन्धी विवरण पत्र

जोन का नाम---------   विवरण माह ----------   (वि0अनु0शा0 अनुभाग मुख्यालय को प्रेषित किया जाय 1)

क्र0सं	चिन्हित संवेदनशील वस्तु का नाम	जोन में पंजीकृत व्यापारियों की सं0	व्यापारियों की सं0 जिनके व्यापारस्थल की जांच की गयी (सूची संलग्न की जाय)	जॉच में अस्तित्वहीन पायी गयी फर्मो/ शाखाओं की सं0 (सूची संलग्न की जाय)	ऐसी फर्मो की सं0 जिनकी जॉच में प्रतिकूल तथ्य पाये गये ।	प्रथम दृष्टया पाये गये अनुमानित अपवंचित क्रय/विक्रय धन की धनराशि	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
योग-							

हस्ताक्षर

जोनल एडीशनल कमिश्नर---------जोन

संवेदनशील वस्तुओं के परिवहीत किये जा रहे माल के वाहनों की जॉच किये जाने सम्बन्धी विवरण पत्र

जोन का नाम---------   विवरण माह ----------   (सचलदल अनुभाग मुख्यालय को प्रेषित किया जाय 1)

क्र0सं	जोन में कार्यरत सचल दल इकाईयों की सं0	संवेदनशील वस्तुओं का नाम	जॉच किये गये वाहनों की सं0	जॉच में दोषी पाये गये वाहनों की सं0	अभिग्रहीत माल का मूल्य	जमा करायी गयी जमानत /अर्थदण्ड की धनराशि	संग्रहीत बिलों की सं0	संग्रहीत बिलों में निहित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	
योग-								

हस्ताक्षर

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)---------जोन